न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 45/2021

सुखवीर सिंह पुत्र श्री पुरखा राम जाति यादव निवासी नाथांवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. पन्ना राम पुत्र श्री सन्तराम जाति स्वामी निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. राम दयाल पुत्र श्री पन्ना राम जाति स्वामी निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. लीला देवी पत्नी श्री पन्ना राम जाति स्वामी निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. सुरजा राम पुत्र श्री सन्तराम जाति स्वामी निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. जसवन्त पुत्र पन्ना राम जाति स्वामी निवासी रोटांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. बलवीर पुत्र श्री मनी राम जाति कुम्हार निवासी 3 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. हेतराम पुत्र श्री मनी राम जाति कुम्हार निवासी 3 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभापक ::–

1. श्री मदन यादव अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 1 से 4
3. श्री हरीश सोनी – – अप्रार्थी संख्या 6, 7
4. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 8

अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—12.06.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील श्रीगंगानगर के चक 15 एलएनपी द्वितीय 'ए' के मुरब्बा नं 47 के किला नं. 21 ता 25 कुल 1.1400 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व 0.1200 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 21 ता 25 में से स्वीकृत रास्ता है जो कि मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 21 ता 25 में से होकर जाता है तथा यह रास्ता सरकार द्वारा स्वीकृत है। मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 11 ता 20 में जाने के लिये वादी के पास कोई रास्ता नहीं है। मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 11 ता 20 में घुसने के लिये. वादी के पास कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। वादी मुरब्बा नं.47 के किला नं. 25 में से अपने खेत में प्रवेश' करना चाहता है। मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 25 प्रतिवादीगण के सयुंक्त खातेदारी में है। वादी मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 21 ता 25 में मंजूरशुदा रास्ते में से किला नं. 25 में अपने खेत में प्रवेश करने के लिये रास्ता चालू अवस्था में ले रखा है जिसे वादी स्वीकृत करवाना चाहता है क्योंकि वादी के पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। वादी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवम् उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। नकल नजरी नक्शा चक 15 एलएनपी द्वितीय 'ए' संलग्न प्रार्थना पत्र है। फसल सावनी हाड़ी के वक्त तथा अन्य दिनो में वादी मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 25 में से प्रतिवादीगण से पूछकर व मान मनुहार कर अपने खेत में प्रवेश करता है कई बार तो प्रतिवादीगण आने जाने भी नहीं देते हैं। वादी को पशुओ व साधनो को खेत में ले जाने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि आप मुरब्बा नं. 47 के किला नं. 25 में 2 बिस्वा चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में मंजूर करवाने के लिये सक्षम अपनी सहमति के ब्यान कर दो ताकि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन हो जावे पहले तो प्रतिवादीगण आज—कल आज—कल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गए और कहने लगे कि इस रास्ता को मंजूर नहीं होने देगे तथा ना ही सहमति के ब्यान देगे आपने जो करना है कर लो, यही बिनाए प्रार्थना पत्र ही जो वादी को प्रतिवादीगण से हासिल है। वादी के इस चालू रास्ता को प्रतिवादीगण द्वारा बन्द करने से अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। इसलिए इस चालू रास्ता में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें । वादी इस रास्ता की एवज में प्रतिवादीगण को जमीन के बदले जमीन या डी. एल. सी. राशि देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के सुनवाई योग्य क्षेत्राधिकार एवंम उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 15 एलएनपी द्वितीय 'ए' तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं: 47 के किला नं. 25 में 2 बिस्वा रास्ता मंजूर किया जावे अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत हो वो वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे अंकित कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज होना स्वीकार परन्तु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये दो वैकल्पिक रास्ते है, जिसमे से एक रास्ता मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया हुआ है, जिसकी पालना मे तहसीलदार 09-04-2021 को रास्ता खुलवाया गया, इस सम्बन्ध में दस्तावेज संलग्न हैं एवं दूसरा रास्ता मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 में रास्ता मौका पर चल रहा है, जिससे वह अपनी कृषि भूमि पर आता जाता है जो तहसीलदार की रिपोर्ट मे स्पष्ट है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा इस पैरा में मनघड़न्त तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अलग से रास्ता जो मौके पर चालू इसलिये प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। तहसीलदार गंगानगर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है जो मौका पर चल रहा है। इसलिये प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 मे अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है क्योंकि मौका पर रास्ता चालू नहीं है और ना ही कभी हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता चालू था एवम् तहसीलदार गंगानगर की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता नहीं है बल्कि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नमबर 1,10,11 में रास्ता स्वीकृत है जो चल रहा है एवं एक रास्ता मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में चल रहा है जो कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 मे रास्ता कभी रहा ही नही है, इसलिये सहमति देने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता एवम् तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका पर रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता कभी चालू ही नहीं रहा है, इसलिये व्यवधान उत्पन्न करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतिरिक्त कथनः- प्रार्थी की कृषि भूमि मे जाने के लिये विकल्प रास्ता उपलब्ध है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट मे अंकित है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे जाने के लिये अलग से रास्ता चल रहा है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन फरमाया जावे, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। इसलिये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1,10,11 में से रास्ता चल रहा है जो रास्ते का वर्तमान मे उपयोग कर रहा है जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट में भी अंकित है। उक्त रस्ता प्रार्थी के रिश्तेदार की कृषि भूमि पर चल रहा है। इसलिये प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता मंजूर करवाना चाहता है। प्रार्थी श्री मान न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया है। इसलिये प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) एवं नियम 69 मे स्पष्ट है कि रास्ता वहीं खातेदारी मंजूर करवा सकता है, जिसको अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता न हो जबकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये दो वैकल्पिक रास्ते हैं, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 मे अंकित कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज होना स्वीकार, परन्तु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट से स्पष्ट है। यह कि एक रास्ता मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत है। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 09-04-2021 को रास्ता खुलवाया गया, इस सम्बन्ध में दस्तावेज संलग्न है एवं दूसरा रास्ता मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 मे रास्ता मौका पर चल रहा है, जिससे वह अपनी कृषि भूमि पर आता जाता है जो तहसीलदार की रिर्पोट में स्पष्ट है। तहसीलदार की रिर्पोट का अवलोकन फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा इस पैरा मे मनघड़न्त तथ्य दर्ज किये गये है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अलग से रास्ता है, जो मौके पर चल रहा है। इसलिये प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिर्पोट से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है जो मौका पर चल रहा है। इसलिये प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। मौका पर रास्ता चालू नहीं है और ना ही कभी हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता चालू था एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिर्पोट से भी स्पष्ट है कि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता नहीं है, बल्कि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 मे रास्ता स्वीकृत है जो चल रहा है एवं एक रास्ता मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में चल रहा है जो कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में रास्ता कभी नही रहा है। इसलिये सहमति देने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता एवम् तहसीलदार की रिर्पोट से स्पष्ट है कि मौका पर रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता कभी चालू ही नहीं रहा है। इसलिये व्यवधान उत्पन्न करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योगय नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतिरिक्त कथन :– प्रार्थी की कृषि भूमि में जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिर्पोट में अंकित है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अलग से रास्ता चल रहा है। तहसीलदार की रिर्पोट का अवलोकन फरमाया जावे, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में धारा 251(क) एवं नियम 69 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से स्पष्ट है कि तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक ही रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 में से रास्ता चल रहा है जो रास्ते का वर्तमान में उपयोग–उपभोग कर रहा है जो कि तहसीलदार की रिर्पोट मे भी अंकित है। उक्त रास्ता प्रार्थी के रिश्तेदार की कृषि भूमि पर चल रहा है। इसलिये प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) एवं नियम 69 में स्पष्ट है कि रास्ता वही खातेदारी मंजूर करवा सकता है जिसको अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता न हो, जवकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये दो वैकल्पिक रास्ते हैं इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी किसी भी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है, परन्तु उक्त कृषि भूमि में कोई रास्ता हो, पूर्णतः मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी वाके चक 15 एल एन पी सैकण्ड ए, पटवार हल्का 15 एल एन पी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक कि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है जिसमें से एक रास्ता मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत है, जो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.04.2021 को खुलवाया गया है तथा दूसरा रास्ता मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 में मौका पर चल रहा है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आता जाता है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता मौके पर मौजूद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है, केवल प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुरब्बा नम्बर 47 के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा उक्त चरण में किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता हो और प्रार्थी उस रास्ते से होकर जाता हो यह पूर्णतः मिथ्या एवं मनगड़त होने के कारण अस्वीकार है। यहां पुनः उल्लेखित किया जाता है कि मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 एवं मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 में प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता मौजूद है, जो कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में अंकित तथ्य मिथ्या एवं मनगड़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 11 ता 20 में जाने के लिए रास्ता मौजूद है, जो मौके पर चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में जवाब की चरण संख्या 4 में तथ्य अंकित किये जा चुके हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में से अपने खेत में प्रवेश करने बाबत् जो तथ्य अंकित किये गये हैं वह पूर्णतः मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21 ता 25 में कोई भी मंजूर शुदा रास्ता नहीं है और न ही ऐसा कोई रास्ता चालू अवस्था में है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी केवल अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 से अपने खेत में प्रवेश करने के लिए मिथ्या तथ्य अंकित कर मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में रास्ता स्वीकृत कराना चाहता है, जबकि प्रार्थी के पास वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 में रास्ता मौके पर चल रहा जिसका उपयोग, उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी का उक्त चरण में यह अंकित करवाना कि प्रार्थी के पास अपने खेत में प्रवेश करने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है, पूर्णतया मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त चरण में अंकित तथ्यों की बाबत् जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में विस्तार पूर्वक जवाब दिया जा चुका है, इसलिए तथ्यों की पुनरावृति की आवश्यकता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है, इसलिए उक्त चरण में प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्य केवल मात्र श्रीमान् न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए अंकित किये गये हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, इसलिए उक्त चरण में प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण द्वारा चालू रास्ता बंद करने से अपूर्णीय क्षति होगी, पूर्णतः मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए एवं नियम 69 से स्पष्ट है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक ही रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकता है और तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है, जो कि चल रहा है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

फरमाये जाने योग्य है और यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता केवल तभी मंजूर किया जा सकता है, जबकि काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध ना हो। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी वाद कारण उपलब्ध न होने एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का न होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5 को जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने हेतु रास्ता की आवश्यकता है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 15 एल एन पी द्वितीय 'ए' तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **वकील अप्रार्थी की मुख्य जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थी केवल अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 से अपने खेत में प्रवेश करने के लिए मिथ्या तथ्य अंकित कर मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 25 में रास्ता स्वीकृत कराना चाहता है, जबकि प्रार्थी के पास वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 25 व 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11 में रास्ता मौके पर चल रहा जिसका उपयोग, उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध है, जो कि चल रहा है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी वर्तमान में अपने रकबा में आने जाने के लिए मुरबा नम्बर 46(मुरबा नम्बर 47 से चिपता हुआ) किला नबर 1 व 10 में से आगवागमन कर रहा है। प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने का विकल्प मौजूद है एवं प्रार्थी अपने खेत में आ जा रहा है। सुविधा के आधार पर प्रार्थी को रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवम् प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहा हैं। प्रार्थी के पास वैकेल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थी को रास्ते की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **12.06.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner